पत्र संख्या : 7ब/2711 गै०यो०–01/14 73

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार,
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर
संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक :– 14-7-14

विषय :– मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग, गैर योजना मुख्य शीर्ष–2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण, लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–01–गंगा नदी के दायाँ तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य, विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय, 59–अन्य व्यय, विपत्र कोड–49N271101001010759, के अंतर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष–2014–15 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2014–2015 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **2711 – बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास,** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	मुख्य अभियंता	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	49–जल संसाधन विभाग, गैर योजना मुख्य शीर्ष–2711–बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास, उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण	लघु शीर्ष–001–निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष–01– गंगा नदी के दायाँ तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य,	07–अन्य व्यय, 59–अन्य व्यय, 49N271101001010759	देवघर	गंगा पम्प नहर प्रमंडल, साहेबगंज

योजना का नाम	पूर्व का आवंटन (लाख ₹ में)	वर्त्तमान आवंटन (लाख ₹ में)	कुल आवंटित राशि (लाख ₹ में)	**On-line Allotment Access No.**	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12	13
बाढ़ अवधि 2014 में संभावित कटाव रोकथाम के लिए बाढ़ संघर्षात्मक कार्य	0.00	64.00	64.00	42794	गंगा नदी के दायाँ तट पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य
योग	0.00	64.00	64.00		

आवंटित राशि – ₹ चौसठ लाख मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2014–2015 के बजट उपबंध **रू० 100.00 लाख (एक करोड़) मात्र** के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरुप हो।

(श्वेता कुमारी) सहायक अभियंता	(मुक्ति साधन चौरसिया) उप सचिव (अभि०)	(सुनील कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम/ अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

8. राशि की निकासी कर उसे चालू / बचत खाता में नहीं रखा जाय।

9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

10. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2015 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : **आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no कंडिका–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।**

11/7/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 73 रॉंची, दिनांक :– 14-7-14

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो०– **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, रॉंची/डोरण्डा/देवघर/साहेबगंज/राजमहल** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/7/14

(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 73 रॉंची, दिनांक :– 14-7-14

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉंच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(श्वेता कुमारी)	(मुक्ति साधन चौरसिया)	(सुनील कुमार सिन्हा)	**(अविनाश कुमार)**
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	**सचिव**

11/7/14